

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)अलेसे-11/ 2276

दिनांक:- 23/01/2019

आदेश संख्या : 109 /2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों का स्थानांतरण/
पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में तुरंत प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स. (1)	लिक नम्बर (2)	नाम (सर्वश्री) (3)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (4)	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम (5)	विशेष विवरण (6)
1	5446	सोहन लाल डागा, सलेअ-11	जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बीकानेर	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	रिक्त पद पर
2	4352	अजय कुमार सैनी, सलेअ-11	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
3	2331	हरीनारायण, सलेअ-11	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
4	4322	कैलाश चन्द कालेडा, सलेअ-11	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	महानिरीक्षक, केन्द्रीय कारागार, जयपुर	रिक्त पद पर
5	5739	संतप्रकाश सांखला, सलेअ-11	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
6	3499	किशनलाल जाट, सलेअ-11	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
7	4370	भगवत प्रसाद गुप्ता, सलेअ-11	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	वित्त (आबकारी) विभाग, सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
8	3312	नरेश कुमार शर्मा, सलेअ-11	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाय कारपोरेशन, जयपुर	वित्त (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात) विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
9	5156	तटस्थ गोस्वामी, सलेअ-11	निदेशक, राजस्थान अक्षय उर्जा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	वित्त (व्यय-I) विभाग, सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
10	2610	राजेन्द्र कुमार सैनी, सलेअ-11	राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर	वित्त (व्यय-III) विभाग, सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर

उपरोक्त कार्मिकों में से किसी कार्मिक विशेष के लिए वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में सक्षम स्वीकृति यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्राप्त की गई हो तो उसकी प्रति इस विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करावें।

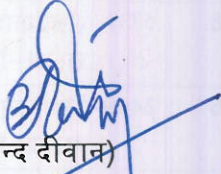
(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)अलेसे-II / 2276

दिनांक:-23/1/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3. कोषाधिकारी.....
4. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II / कार्मिक III) कार्यालय हाजा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)